संख्या- 12/2019/794/33-3-2019-100(3)/2017

प्रेषक,

सोबरन सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन भत्ता आदि मद में स्वीकृत धनराशि का अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/02/2019-1/286/2018, दिनांक 02.04.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रावधानित धनराशि रू0-193961.01 लाख के सापेक्ष रू0-193961.01 लाख (रू0 उन्नीस अरब उनतालीस करोड़ इकसठ लाख एक हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है, को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।

(4) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 - 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरष: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवष्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवष्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) निदेशक, पंचायती राज अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नही होगी।

(8) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पश्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवष्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवष्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डस आफ फाइनेंशियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराषि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाषीर्शक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवष्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराषि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा षासन के अन्य आदेषो द्वारा विनियमित होगी।

(12) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अन्तर्गत प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :-यथोक्त

भवदीय,

(सोबरन सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत) उत्तर प्रदेश।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

7- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।

8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सोबरन सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 12/2019/794/33-3-2019/100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 का संलग्नक

लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	मानक मद	वर्ष 2019-20 का आय-व्ययक अनुमान	निर्वतन पर रखी गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	138863.50	138863.50
2	03-मंहगाई भत्ता	20829.53	20829.53
3	06-अन्य भत्ते	825.60	825.60
4	49-चिकित्सा व्यय	150.00	150.00
5	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	23931.82	23931.82
6	55- मकान किराया भत्ता	8385.16	8385.16
7	56-नगर प्रतिकर भत्ता	975.40	975.40
	योग	**193961.01**	**193961.01**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।